न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 33 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

अशोक कुमार पिता सरदारमल जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कालूसिंह पिता पुरासिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भगवानसिंह पिता पुरासिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती नन्दू पुत्री पुरासिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती गोमी पत्नी रामा जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. मोतीसिंह पिता रामा जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. केसरसिंह पिता रामा जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजूसिंह पिता सुजानसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती झूमी पत्नी सुजानसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
9. घीसासिंह पिता मालासिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
10. उदयसिंह पिता मालासिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

11. गोपालसिंह पिता मानसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

12. खुमसिंह पिता मानसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

13. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी धर्मचन्द, जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

14. गणपतलाल पिता धर्मचन्द, जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15. भीकमचन्द पिता धर्मचन्द, जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

16. रमेशचन्द पिता धर्मचन्द, जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

17. ललित कुमार पिता धर्मचन्द, जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

18. श्रीमती सजुबाई पत्नी सरदारमल जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

19. दिलखुश पिता सरदारमल जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

20. महावीर सरदारमल जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम खेड़ाजस्सा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 23.06.2016, प्र. सं. 2/12

———::———

<u>उपस्थित (वक्तबहस)</u> 1— श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री सुभाष श्रीमाली अभिभाषक रेस्पो. 5, 6, 11, 12

———::———

निर्णय **दिनांक 17–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 12 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेडाजस्सा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां स्थित होकर वादीगण का पीढ़ियों से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमियों के हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है, जिन्हें सेटलमेन्ट के दौरान जानबूझकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं है। निवेदन किया कि सेटलमेन्ट विभाग की उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही को निरस्त करते हुए वाद वर्णित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण साक्ष्य वादी में विद्यमान था। इसी दौरान दिनांक 23–06–2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 01–06–2017 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 08–05–2017 को गांव आने पर अपने अधिवक्ता से जानकारी करने पर हुई, जिस पर तुरन्त नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उपरोक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 5, 6, 11 व 12 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्टगण को पूर्व से ही थी तथा मयाद को एक वर्ष गुजर चुका है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय लोक अदालत में

पारित किया गया है उसकी सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 से 17 व 19, 20 की ओर वकील श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5, 6, 11 व 12 की ओर से वकील श्री सुभाष श्रीमाली उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 व 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट श्री मुकेश तलेसरा व वकील श्री सुभाष श्रीमाली ही उपस्थित हुए।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह अन्यन्त बेहुदा निर्णय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में वादी के वाद पत्र की कलम संख्या 1 से लेकर 11 तक यथावत अंकित कर अन्त में निम्नानुसार अंकन किया है :–

''अतः वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प दिवेर में पेश हुआ वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात को प्रतिवादीगणों के नाम से हटायी जाकर वादीगण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।''

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार के विवेक का अनुप्रयोग किये वादी के स्तर पर लम्बित प्रकरण में जिसमें तनकियात कायम शुदा है, उसे लोक अदालत में रखकर बिना किसी प्रकार की सहमति, बिना अपीलान्ट को सूचना दिये, प्रकरण में अत्यन्त बेहदा एवं विधि विरूद्ध बिना तनकीवार विवेचन किये निर्णय पारित कर दिया है तथा निर्णय में सिर्फ वाद पत्र को ही उद्धृत कर अन्त में स्वेच्छाचारी निर्णय पारित कर वाद डिक्री कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत स्वेच्छाचारी निर्णय होकर गरीब काश्तकारों के लिए अनावश्यक श्रम व धन बर्बाद करने का बेजा बोझ है। हम ऐसे पीठासीन अधिकारी की निन्दा करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर स्वेच्छाचारी निर्णय होने से अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 23–06–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–03–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

पूरणसिंह पिता गणेशसिंह जी रावत, निवासी नालोई, लालपुरा–बिगड़ातों का घाड़िया, तह.भीम, जि.राजसमन्द

बनाम

सोहनसिंह रावत मृतक के बजाय कल्याणसिंह पुत्र स्व. सोहनसिंह नि0 नालोई, लालपुरा–बिगड़ातों का घाड़िया, तहसील भीम व अन्य

अपील नं.....**164 / 2010**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**भीम**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....28**.....माह.....**06**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**03**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री कृष्णसिंह चौहान**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री मदनसिंह चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**03**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।